

सम्पत्ति-अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1092 2019। Aditya Infra Pvt Ltd. आवेदन नं० 2019
 चूंकि श्री IeevanShree ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नालखित संपत्ति के सम्बन्ध में विबन्धित
 संव्यवहारों और अवभारों का सविवर प्रमाण-पत्र दिया जाय। श्री- Sanjay Kumar
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही
 1 में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 01/01/10/198 से ता० 27/08/2019 तक तलाश की गई और ऐसी
 तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति विदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>श्री</u> <u>मेघना</u> <u>जिवापुर</u> <u>परगना</u> <u>201</u>		<u>खता</u> 01-डू 01-डू 110-डू 424-न० 110-डू 424-न०	<u>खता</u> 106-डू 812-न० 106-डू 812-न० 102-डू 818-न० 103-डू 818-न०		<u>खता</u> 51.05 डी 26.00 डी 01.8 डी 03.00 डी 81.85 डी		

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) (1) बंधक-पत्र की दशा में, व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बर्स, जि-इसके बारे में बताया है Aditya Infra Pvt. Ltd.

(2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक हागत दर्ज करें।

Sanjay Kumar
Director

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया:-

(हस्ताक्षर):-

(पदनाम):-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर):-

(पदनाम):-

कार्यालय जिला निबन्धन कार्यालय
समस्तीपुर

तारीख 30/08/2019



निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

30/08/2019

टिप्पणी:- (1) इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जैक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 48 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की विष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों का ज़रूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहत फीस का भुगतान करने पर बाह्य और अनुक्रमणिक उनके सामने रख दी जायगी।

(3) किन्तु चूँकि आवेदन मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने अनुसार सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशा परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

✓ (4) और वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा डढ़े गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन विवाद प्रमाणपत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न हमें ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्राक - 1736 दिनांक - 30/08/19

प्रतिलिपि:- Jeevanashree Aditya Insaan Pvt. Ltd. जिला अवर निबन्धन
शाखा - Patna, को सूचना दी प्रेषित। समस्तीपुर